

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती गतजरा अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने को आदेश दिये जाते हैं :-

| पूर्व इन्द्राज |             |   |              |        | स्वीकृत किया गया इन्द्राज   |              |                  |
|----------------|-------------|---|--------------|--------|---|--------------|------------------|
| 1              | 2           | 3   | 4            | 5      | 6   | 7            | 8                |
| क्रमांक        | खाली संख्या | खालदार का नाम   | खरारा संख्या | संख्या | खालदार का नाम   | खरारा संख्या | संख्या (ए.डी.ए.) |
| 199            | 199         | इ.डी.ए. 426<br>मोहनदास शास्त्री<br>(स. प्रशास.)<br>इन्द्राज दुरस्ती<br>दफ्तार | 426          | 3.63   | इ.डी.ए. 426<br>मोहनदास शास्त्री<br>(स. प्रशास.)<br>इन्द्राज दुरस्ती<br>दफ्तार | 426          | 3.63             |

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

88)  
12.11.21

अतिरिक्त जिल्ला कलक्टर :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

अतिरिक्त जिल्ला कलक्टर :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर को भव्यकर लक्ष्य है कि अन्तः न्यायालय को स्वयं नही हा ता निगयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर